रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2001/फाल्गुन 18, 1922

No. 67] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2001/PHALGUNA 18, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2001

विषय : यूक्रेन मूल के या वहां से निर्यातित फैरोसिलिकॉन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत

सं. 17/1/2001-डीजीएडी.—मै. इंडियन मैटल्स एंड फैरो एलॉयस लिमि., भुवनेश्वर ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति-निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें यूक्रेन मूल के या वहां से निर्यातित फैरो एलॉयस के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. **शामिल उत्पादः** वर्तमान मामले में जांच मे शामिल उत्पाद युक्रेन मूल का अथवा वहां से निर्यातित फैरो सिलिकॉन है। फैरो सिलिकॉन लोहा एवं इस्पात का एक मिश्रधातु है और इसमें कैल्सियम, एल्युमिनियम, कार्बन इत्यादि अशुद्धिओं के रुप मे होते हैं। फैरो सिलिकॉन में सिलिकान का प्रमुख भाग है। इसका मुख्य रुप से इस्पात और अलॉय इस्पात के उत्पादन मे अनॉक्सीकारक के रुप में उपयोग किया जाता हे।

फैरो सिलिकॉन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं0 7202.100 और 7202.2100 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले मे बाध्यकारी नहीं हे।

घरेलू उद्योग की हैसियतः याचिकाकर्त्ता ने कहा है कि भारत मे फैरा सिलिकॉन के निम्नलिखित उत्पादक हैं-

(क) मै0 इंडयन मैटल्स एंड फैरो एलॉयस लिमि0 ;

(ख) मै0 नव भारत फैरो एलॉयस लिमि ;
(ग) मै0 वीबीसी फैरो एलॉयस लिमि ;
(घ) मै0 आलोक फैरो एलॉयस लिमि0 ;
(ड.) मै0 नव क्रोम लिमि0 ;
(च) मै0 इस्पात एलॉयस लिमि0 ;
(छ) मै0 जी एम आर वसावी इंडस्ट्रीज ;
(ज) मै0 इंडसिल इलैक्ट्रोस्मेल्ट्स लिमि0 ;
(झ) दी सिलकाल मैटालर्जिक लिमि0 ;
( ) दी ट्रावनकोट इलैक्ट्रो कैम ;
(ट) संदूर मैगनीज एंड आयरन ओर्स ;
(ठ) विश्वेसरैया आयरन एंड स्टील कं0 लिमि ;
(ड) यूनिवर्सल फैरा एंड एलॉयड कैमिकल्स ;

मै0 इंडियन मैटल्स एंड फैरो अलॉयस लिमि ; भुवनेश्वर ने याचिका दायर की है और उसका उल्लेख इसके बाद याचिकाकर्त्ता के रुप में किया गया है । मै0 वीबीसी फैरो अलॉयस लिमि0, हैदराबाद ने याचिका का समर्थन किया है । याचिकाकर्त्ता कुल घरेलू उत्पादन का 50.2 % उत्पादन करता है और इसलिए वह वर्तमान याचिका दायर करने की शर्तों को पूरा करता है ।

3. **संबंधित देशः** वर्तमान जांच में शामिल देश युक्रेन है (जिसे इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है ।)

4. **समान वस्तुएं** याचिकाकर्त्ता ने दावा किया हे कि उसके द्वारा उत्पादित माल युक्रेन मूल के या वहां से निर्यातित माल की समान वस्तु है । याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित माल को पाटनरोधी नियमों की परिभाषा के भीतर संबद्ध देश से आयातित माल की समान वस्तु के रुप में माना गया है ।

5. **पाटन एवं पाटन मार्जिनः**

समान मूल्यः याचिकाकर्त्ताओं ने फैरोसिलिकॉन के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर युक्रेन के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

निर्यात कीमतः याचिकाकर्त्ता ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार यपर निर्यात कीमत का दावा किया है । सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को देखते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम वैध सीमा से काफी अधिक है ।

इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि युक्रेन में विचाराधीन उत्पाद की सामान्य कीमतें उससे काफी अधिक हैं, जिन कीमतों पर भारत में इसका निर्यात किया गया है , जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि यूक्रेन के निर्यातक संबद्ध समान का पाटन कर रहे हैं ।

6. **क्षति एवं कारणात्मक संबंधः** घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक संकेतके जैसे उत्पादन, बिक्री, लाभ/हानि इत्यादि संचयी और समेकित रुप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । इसके प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

7. **पाटनरोधी जांच का आरंभः** उपरोक्त पैराग्राफ को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

8. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 1999 से 31 अगस्त, 2000 तक (17 महीनों) की है ।

9. **सूचना देना** संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में संबद्ध सामान के ज्ञात आयातको को अलगे से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रुप मे तथा निर्धारित प्रपत्र में निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, पाटनरोधी निदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित रुप में और निर्धारित प्रपत्र में जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है ।

10. **समय सीमाः** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रुप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात नियातको और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी । यह नोट किया जाए कि अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए ऊपर उल्लिखित समय सीमा को बढाने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11. पाटनरोधी जांच का काम समयबद्ध स्वरुप का होने के कारण अगर निर्धारित समय के भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता है या प्राप्त सूचना किसी रुप मे अपूर्ण पाई जाती है तो उक्त नियम के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है ।

12. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणः** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी इच्छुक पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पाटियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

13. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथ केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशे कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2001

No. 17/1/2001-DGAD.—M/s. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd., Bhubaneshwar, have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Ferro Alloys originating in or exported from Ukraine and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties

1. **Product Involved:** The product under investigation in the present case is Ferro Silicon originating in or exported from Ukraine. Ferro Silicon is an alloy of iron and silicon containing calcium, aluminium, carbon etc., as impurities. Silicon constitutes the major proportion in Ferro Silicon It is primarily used as a deoxidiser in the production of steel and alloy steels.

Ferro Silicon is classified under Customs sub-heading no 7202.21 and 7202.2100 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

2. **Domestic Industry Standing:** The petitioner has stated that the following companies are the producers of Ferro Silicon in India:-

(a) M/s Indian Metals and Ferro Alloys Ltd.,
(b) M/s Nava Bharat Ferro Alloys Ltd.,
(c) M/s VBC Ferro Alloys Ltd.,
(d) M/s Alok Ferro Alloys Ltd.,
(e) M/s Nav Chrome Ltd.,
(f) M/s Ispat Alloys Ltd.,
(g) M/s GMR Vasavi Industries;
(h) M/s Indsil Electrosmelts Ltd.,
(i) The Silcal Metallurgic Ltd.,
(j) The Travancore Electro Chem;

8 **Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 1999 to 31st August, 2000 (17 months)

9 **Submission of Information:** The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate of Anti- Dumping, Udyog Bhavan, New-Delhi -110011 Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below

10. **Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately. It may kindly be noted that no requests whatsoever shall be entertained for extension of the above-stated time limit for submission of the required information.

11. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.

12. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.